

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

पत्रांक - 2573/18

दि-17-11-18

श्री सूर्य प्रकाश मेहता,
लिपिक, छात्र शाखा,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि आज दिनांक - 17.11.18 को 2nd Prof. MBBS Exam 2017 (Second) से संबंधित छात्र/छात्राओं का पैथोलॉजी विभाग में Practical/ Viva परीक्षा संचालित हो रहा था, जिसमें Internal/External Examiner के रूप में आये पदाधिकारियों का टी0ए0/डी0ए0 देने से संबंधित कार्य एवं परीक्षार्थियों के प्राप्तांक को अपलोड करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन आपके द्वारा किया जाना था, परन्तु कार्य सम्पादन के समय आपको अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया, जो सरकारी नियम के प्रतिकूल एवं कर्तव्यहिनता का द्योतक है । ज्ञात हो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवश समीक्षा के दौरान 2:00 बजे अप0 के बाद प्रायः आप अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित ही पाये जाते हैं ।

पत्र प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर आप अपना स्पष्टिकरण लिखित रूप से प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर समर्पित करें कि क्यों नही सरकारी नियम के प्रतिकूल कार्य करने एवं कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण आप पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आपके इस अनुशासनहिनता/कर्तव्यहिनता को आपके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय को दी जाए ।



प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

श्री सूर्य प्रकाश मेहता,
लिपिक, छात्र शाखा,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

विदित हो कि आज दिनांक - 17.11.18 को 2nd Prof. MBBS Exam 2017 (Second) से संबंधित छात्र/छात्राओं का पैथोलौजी विभाग में Practical/ Viva परीक्षा संचालित हो रहा था, जिसमें Internal/External Examiner के रूप में आये पदाधिकारियों का टी0ए0/डी0ए0 देने से संबंधित कार्य एवं परीक्षार्थियों के प्राप्तांक को अपलोड करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन आपके द्वारा किया जाना था, परन्तु कार्य सम्पादन के समय आपको अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया, जो सरकारी नियम के प्रतिकूल एवं कर्तव्यहिनता का द्योतक है । ज्ञात हो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवश समीक्षा के दौरान 2:00 बजे अप0 के बाद प्रायः आप अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित ही पाये जाते हैं ।

पत्र प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर आप अपना स्पष्टिकरण लिखित रूप से प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर समर्पित करें कि क्यों नहीं सरकारी नियम के प्रतिकूल कार्य करने एवं कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण आप पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आपके इस अनुशासनहिनता/कर्तव्यहिनता को आपके सेवापुस्त में दर्ज करते हुए इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय को दी जाए ।

ह0/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 2573/18

दिनांक:- 17-11-18

प्रतिलिपि:-

- 1) Estate Officer/ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2) I.T. Section, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर